# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

**पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)**

नं. मु. :– 32/2025

निर्णय दिनांक :– 30/4/2025

1. श्रीराम जाट पुत्र गंगा देवी पत्नी मोटाराम उम्र 62 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम मानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बीदासर (चूरू)

........ अप्रार्थी

**प्रार्थना–पत्र वास्ते रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956**

निर्णय

उपस्थित :–

1. अरविन्द चौधरी व लालचन्द जाट एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 1

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का एक खेत खाता संख्या नया 222 व पुराना 32 तथा खसरा नम्बर 589/363 तादादी 4.6008 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम मानपुरा तहसील बीदासर में स्थित है जो प्रार्थी के एकल खातेदारी का खेत है। जिसकें खातेदारी रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम श्रीराम पुत्र गंगादेवी पत्नी मोटाराम अंकित है। जबकी प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम श्रीराम जाट पुत्र गंगादेवी पत्नी मोटाराम है। प्रार्थी के नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बीदासर, में प्रार्थी का नाम श्रीराम जाट पुत्र गंगादेवी पत्नी मोटाराम अंकित है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम श्रीराम पुत्र गंगादेवी पत्नी मोटाराम व अन्य समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम श्रीराम जाट पुत्र गंगादेवी पत्नी मोटाराम होने के कारण प्रार्थी को बैंक ऋण लेने व सरकारी योजना का अनुदान प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के मार्फत राजस्व रेकार्ड में अपना नाम श्रीराम पुत्र गंगादेवी पत्नी मोटाराम की जगह अपना सही एंव शुद्ध नाम श्रीराम जाट पुत्र गंगादेवी पत्नी मोटाराम का संशोधन कराये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रार्थी का गलत चला आ रहा नाम राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही मानपुरा तहसील बीदासर में स्थित है। इसलिए प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान्जी के न्यायालय को प्राप्त है आदि–आदि अंकित कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार बीदासर ने अपना लिखित मे जवाब पेश किया जिसमें प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित बताया है। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात आधार कार्ड, पैन कार्ड, व बैंक पास बुक आदि में प्रार्थी का नाम श्रीराम जाट पुत्र गंगादेवी पत्नी मोटाराम अंकित है जबकी राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम श्रीराम पुत्र गंगादेवी पत्नी मोटाराम अंकित है। हमनें पत्रावली का भलीभांति ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रेकार्ड में नाम शुद्धी से सम्बन्धित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, व बैंक पास बुक आदि में प्रार्थी का नाम श्रीराम जाट पुत्र गंगादेवी पत्नी मोटाराम अंकित है जबकी राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम श्रीराम पुत्र गंगादेवी पत्नी मोटाराम अंकित है जिसको प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों के आधार पर शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों की विवेचना के आधार पर रोही ग्राम मानपुरा के खेत खाता संख्या नया 222 व पुराना 32 तथा खसरा नम्बर 589/363 तादादी 4.6008 हेक्टेयर में प्रार्थी का नाम श्रीराम पुत्र गंगादेवी पत्नी मोटाराम को संशोधित किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का दस्तावेजी शुद्ध एंव सही नाम श्रीराम जाट पुत्र गंगादेवी पत्नी मोटाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 30/04/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू
सत्यमेव जयते